

72/2024

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

विजय कुमार / तारावती

नम्बर व तारीख जो इस हुकम की जारी हुये

24/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील फारुखान अल्पस उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बटवस पेश की विनादिद आराजी गान कानी कुम्मा बुधना ख नं 394/0.55 ख नं 393/0.85 का लेनर है। अनावेदन ख। लगावट 5 अंगुल प्रश्नी है। जो अवहन आवेदन की कब्जा भूमि ख नं 393/0.85, 394/0.55 में निर्माण कर

(वकील)

(वकील)

(प्रार्थी)

एकाने रूप से कब्जा करना चाहा है। एवं वृषि भूमि का अग्रवि में परिवर्तित करने एवं कानि विभाजन के भूमि के विविध भाग पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अतः दिनांक 26/4/24 को जारी टी स्वारि करी जावे। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी ने कानि विभाजन से इंकार नहीं किया। प्रार्थी ने स्वयं ही विना विभाजन व सम्पादित करे खसरा ख 394 पर निर्माण कर लिया है। जबकि बाहरी बटवार में 393 अप्रार्थी के दिखने में आया है जिस पर कब्जा करत है।

खसरा ख 394 State Highway पर है जिसकी सीमा बटवस में है। प्रार्थी गन ने इसमें सीमेंट रोड की factory लगा रखी है जिसकी जांच हेतु Photograph व Video Recording पेश है। जबकि अप्रार्थी गन खसरा ख 393 में पानी का होय व वृषि को जार रखने हेतु मात्र 200 वर्ग गज का निर्माण करना चाहा तो टी से पावल कब्जा मुकल प्रस्तुत कर दिया। अतः एनार दिरुद जारी अस्वारि निषेधासा खाजि से जारी है।

वकील प्रार्थी ने स्वीकार किया कि खसरा ख 394 पर एनारा कब्जा है तथा वहां 2 छेरे मकानों का निर्माण प्रार्थी गन ने कराया है। अप्रार्थी ने इस बाबत की विस्तृत पेशगदी किया उपमन्ता बटवस, फारुखान, video recording एक जबाब के आधार पर दिनांक 26/4/24 को जारी अस्वारि निषेधासा खाजि की जारी है। तथा यह निर्देश दिए जा रहे हैं

सातोव (देवलाबाबा)

विजय कुमार / तारावती

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख जो इस हुकम की जारी हुये

72/2024

दिनांक पेशों एक-दूसरे की कब्जे कइत आरजी में दखल नहीं देवे साथ ही राज्य सरकार के शिक्षा निदेशों की पालना में कृषक कर्पण रखास हेतु विना सम्पादित 500 वर्ग गज या 1/50 दिखत आनी नूतल है। यह कब्जा विना विभाजन व अनुमति निर्माण न करे। पत्रावली प्रस्तुत कुमार हो नम्बर से कम हो।

अखण्ड अधिकारी बुधना विजय कुमार (सब.)

